न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

GCMS NO.-2023/564
मिसल नम्बर–72 / 2023

1. राजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री मांग्या उर्फ मांगीलाल
2. इन्द्रजीत पुत्र स्वर्गीय श्री मांग्या उर्फ मांगीलाल जाति भील निवासीगण ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकमान

2/1. श्रीमति ममता बाई पत्नी स्वर्गीय श्री इन्द्रजीत जाति भील निवासी 18 मन्दिर चौक, गोल चबूतरे के पास बोरखण्डी कोटा

2/2. मुस्कान भील

2/3. किशन मुरारी

2/4. आनन्द नाबालिगान जरिये बबलयात माता स्वर्गीय श्री इन्द्रजीत जाति भील निवासीगण 18 मन्दिर चौक गोल चबूतरे के पास बोरखण्डी कोटा

वादीगण

बनाम

1. गिरधर गोपाल एण्ड संस एच.यु.एफ. कर्ता गिरधर गोपाल आत्मज लालाराम झाम्ब जाति पंजाबी निवासी नयापुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. मोडूलाल आत्मज स्वर्गीय श्री गोरू उर्फ गोरूलाल
3. रामस्वरूप आत्मज स्वर्गीय श्री गोरू उर्फ गोरूलाल
4. जगन्नाथी बाई पुत्री स्वर्गीय श्री गोरू उर्फ गोरूलाल
5. चमेली बाई पुत्री स्वर्गीय श्री गोरू उर्फ गोरूलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. मोहनलाल आत्मज स्वर्गीय श्री छोट्या उर्फ छोटूलाल
7. रमेशलाल आत्मज स्वर्गीय श्री छोट्या उर्फ छोटूलाल
8. हेमराज आत्मज स्वर्गीय श्री छोट्या उर्फ छोटूलाल
9. द्वारकी बाई पुत्री स्वर्गीय श्री छोट्या उर्फ छोटूलाल
10. राजू बाई पुत्री स्वर्गीय श्री छोट्या उर्फ छोटूलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
11. रामदेवा आत्मज स्वर्गीय श्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल
12. नाथूलाल आत्मज स्वर्गीय श्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

13.बसन्ती बाई पुत्री स्वर्गीय श्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल जाति ल करी निवासीगण ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

14.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

प्रतिवादीगण।

प्रार्थना–पत्र

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बाबत्)

–:निर्णय:–

दिनांक: 27 / 01 /2026

उपस्थित अधिवक्तागण:–

1.श्री अनुराग गुप्ता अधिवक्ता वादीगण।

2.श्री रघुवीर राठौड़, अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम 1 ।

वादीगण की ओर से दिनांक 18.08.2023 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं धारा 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण के पिता एवम पति मांग्या उर्फ मांगीलाल जी आत्मज गोमदा जी जाति भील निवासी ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाते एवम कब्जे में ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की गत खसरा नम्बर–26 की 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर –38 की 7 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर–64 की 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर–121 की 14 बीघा 14 बिस्वा कुल 4 किता की 41 बीघा 3 बिस्वा कृषि आराजीयात स्थित चली आ रही थी। ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खसरा नम्बर–38 की 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि के वर्तमान सेटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर–74 की रकबा 1.15 है0 एवम खसरा नम्बर–75/469 की रकबा 0.07 है0 जुमला 2 किता की 1.22 हैक्टयर रकबा कायम हुआ है। खसरा नम्बर–38 की 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि के सम्बंध में ही वादीगण द्वारा दावा हाजा के जरिये अनुतोष चाहा गया है। उपरोक्त भूमि मांग्या उर्फ मांगीलाल आत्मज गोमदा को आवन्टित की गई थी, तदुपरान्त मांग्या उर्फ मांगीलाल जी को नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल जी अपने जीवनकाल तक उपरोक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार टीनेन्ट निरन्तर काबिज रहे थे। मांग्या उर्फ मांगीलाल जी की दिनांक 12–11–2014 को मृत्यु हो चुकी है। वादीगण क्रम–1 व 2 क्रमशः राजेन्द्र व इन्द्रजीत मृतक खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल जी के पुत्र होने से उनके उत्तराधिकारी तथा प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से उपरोक्त भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

वैधानिक रूप से काबिज चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज है। खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल आत्मज गोमदा जी एक अनपढ व अशिक्षित व्यक्ति थे, जिन्हे कानून की जानकारी नही थी। खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल एवम वादीगण जाति से भील है। भील जाति राजस्थान में एक अनुसूचित जन जाति है। इस प्रकार वादीगण अनुसूचित जन जाति के सदस्य है। खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल ने ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा की गत खसरा नम्बर –38 की 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि का गोरू उर्फ गोरूलाल, छोट्या उर्फ छोटूलाल एवम प्रभु उर्फ प्रभूलाल पिसरान हीरा जी जाति लश्करी निवासीगण ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा को उपरोक्त भूमि व कभी कोई बैचान नहीं किया था। विक्रय प्रतिफल की कोई राशि प्राप्त भी नही की थी, उपरोक्त तीनो व्यक्तियो ने खातेदार मांग्या उफ मांगीलाल के स्थान पर किसी फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके दुरभिसन्धी कर षडयन्त्र रचकर दिनांक 12–03–1974 को उपरोक्त 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि का पंजीकृत विक्रय–पत्र अपने पक्ष में निष्पादित करवाकर पंजीयन करवा लिया। उक्त पंजीकृत विक्रय –पत्र अनुसचित, जन जाति भील जाति के खातेदारी की भूमि का लश्करी जाति के व्यक्ति को, सवर्ण जाति के व्यक्ति को बैचान किये जाने से उक्त बैचान सर्वथा गैरकानूनी, अवैध एवम प्रभावशून्य हैं तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानो के सर्वथा विपरीत है। उपरोक्त बैचान से तथाकथित क्रेतागण को कोई हक हकुक प्राप्त नही होते है। उक्त तीनो व्यक्तियो का उपरोक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है। उक्त फर्जी, कुटरचित एवम बनावटी विक्रय–पत्र के आधार पर गौरू उर्फ गौरूलाल, छोट्या उर्फ छोटूलाल, प्रभू उर्फ प्रभूलाल ने उपरोक्त भूमि सर्वथा गैरकानूनी रूप से अपने खाते दर्ज करवा ली। उपरोक्त तथाकथित बैचान एवम राजस्व अभिलेख जमाबन्दी के उक्त इन्द्राजात सर्वथा गलत, अवैध, विधि विरूद्ध एवम प्रभावशुन्य है, जिससे उपरोक्त व्यक्तियो को कोई हक हकुक प्राप्त नही होते है। गौरू उर्फ गौरूलाल, छोट्या उरफ छोटूलाल, प्रभू उर्फ प्रभूलाल पिसरान हीरालाल जाति लश्करी ने उपरोक्त गैरकानूनी, अवैध एवम प्रभावशून्य राजस्व अभिलेख जमाबन्दी के इन्द्राज का फायदा उठाकर उपरोक्त भूमि जिसके नये खसरा नम्बर–742 रकबा 1.15 हैं० एवम खसरा नम्बर–75/469 रकबा 0.07 हैं0 जुमला 2 किता की 1.22 हैक्टयर रकबा कायम हुआ है, को बिना किसी अधिकार विक्रय–पत्र जरये मुख्तार आम बैचान कर दिया था। उक्त बैचान सर्वथा गैरकानूनी, विधि विरूद्ध एवम प्रभावशुन्य है, जिससे प्रतिवादी क्रम–1 को उपरोक्त भूमि के मनमाने तौर पर प्रतिवादी नम्बर–1 को दिनांक 8–11–2001 को जरिये पंजीकृत कोई हकुक प्राप्त नही होते है। उक्त अवैध एवम प्रभावशून्य विक्रय–पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि अपने खाते दर्ज करवा ली। प्रतिवादीगण के पक्ष में किये गये जमाबन्दी के उक्त इन्द्राजात सर्वथा अवैध एवम प्रभावशून्य है। उपरोक्त इन्द्राजात से प्रतिवादी क्रम–1 को उपरोक्त भूमि पर कोई हक हकुक प्राप्त नही होते हैं। वादीगण उपरोक्त भूमि पर भांतिपूर्वक

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादी नं0 1 ने वादीगण को उपरोक्त भूमि से बेदखल करने की एवम उपरोक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्तरित करने की भूमि से बेदखल करने की दिनांक 20.04.2023 को गैरकानूनी रूप से धमकी दी है, उपरोक्त भूमि को अन्तरित करने को तैयार अतः वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध हक घोशणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निशेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करना आव यक हो गया है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा प्रस्तुत करने का वाद कारण खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल के स्थान पर किसी फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके कूटरचित, फर्जी एवम बनावटी पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 12–03–1974 को मांग्या, छोटू प्रभू पिसरान हीरा जाति लश्करी निवासीगण ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपूरा जिला कोटा द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित कर पंजीयन करवाने पर एवम तीनो व्यक्तियो द्वारा दिनांक 8–11–2001 को बिना किसी अधिकार के मनमाने तौर पर प्रतिवादी क्रम–1 के पक्ष में विक्रय–पत्र निष्पादित कर पंजीयन करवाने पर एवम अन्तिम मर्तबा दिनांक 20–04–2023 को प्रतिवादी नम्बर–1 द्वारा वादीगण की उपरोक्त भुमि से बेदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है क्रि वादीगण के पक्ष, में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी सादिर फरमाई जावे कि वादीगण की ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 38 की 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि जिसके वर्तमान सेटलमेन्ट में नये, खसरा नम्बर–74 रकबा 1.15 हैक्टर एवम खसरा नम्बर–75/469 रकबा 0.07 है0 जुमला दो किता की 1.22 हैक्टयर रकबा कायम हुआ है, का वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जाकर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अमल दरामद किये जाने का एवम प्रतिवादी क्रम–1 का नाम राजस्व अभिलेख जमाबन्दी से विलोपित किये जाने का निर्णय एवम डिक्री सादिर फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण ने प्रस्तुत वाद ख०न0 74 रकबा 1.15 है0 एवं ख०नं0 75/469 रकबा 0.07 है० कुल किता 2 रकबा 1.22 है० वाके ग्राम बोरखण्डी तह0 लाडपुरा जिला कोटा के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष बाबत हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। उक्त आराजी पर वादीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और वादीगण ने कभी भी उक्त आराजी को काश्त नहीं किया है इसलिये उक्त वाद कब्जे के अभाव में चलने योग्य नही है और इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.11.2001 को खातेदार बजरंगलाल पूत्र हरदेव जाति लश्करी से खरीद किया है तब से ही उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त है। जब तक वादीगण सक्षम न्यायालय से रजिस्टर्ड विकय पत्र को निरस्त नहीं करवा लेते प्रस्तुत वाद के माध्यम से किसी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकार नही है इसलिये प्रस्तुत वाद कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादी संख्या 14 के खिलाफ अर्जन्ट नेचर का बताकर पेश किया है इसमें प्रतिवादी संख्या 14 लेण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है जिसे वादीगण द्वारा 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वादीगण ने उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 14 को 2 माह का नोटिस नहीं दिया जिसके अभाव में वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज लेने योग्य है। वादीगण को प्रस्तुत वाद का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हआ है क्योंकि वादीगण के पूर्वज सन 1974 में उक्त आराजी का बेचान कर चुके हैं इसलिये वादीगण के अधिकार उसी समय समाप्त हो चुके थे। वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है इसलिये वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रस्तुत वाद वाद कारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार उपरोक्त आधारों एवं कारणो से प्रस्तुत वाद इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आधारों पर प्रस्तुत वाद को इसी स्टेज पर खारिज किये जाने की कृपा करे।

वादीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में लिखे अनुसार वादीगण द्वारा खसरा नम्बर–74 रकबा 1.15 है० एवम खसरा नम्बर–75/469 रकबा 0.07 है0 जुमला दो किता की 1.22 हैक्टयर भूमि वाकै ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा के सम्बंध में माननीय न्यायालय के समक्ष हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवम स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करना स्वीकार है, शेष जिस प्रकार से अंकित किया गया है, स्वीकार नही है। उपरोक्त भूमि वादीगण के पूर्वज मांग्या उर्फ मांगीलाल जी आत्मज गोमदा जी जाति भील निवासी ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाते व कब्जे काश्त में स्थित चली आ रही थी। मांग्या उर्फ मांगीलाल जी उपरोक्त भूमि पर अपने जीवनकाल तक बहैसियत खातेदार टीनेन्ट वैधानिक रूप से काबिज काश्त रहे तथा उनका स्वर्गवास होने के उपरान्त वादीगण उपरोक्त भूमि पर मांग्या उर्फ मांगीलाल जी से वारिसान व उत्तराधिकारी होने से काबिज काश्त है। यहा यह उल्लेखनीय है। कि कब्जे का बिन्दु वैसे भी कानून एवम तथ्यो का मिश्रित प्रश्न है, जो उभय पक्षकारान की साक्ष्य के उपरान्त ही तय किया जा सकता है। इस कारण से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। गोरू, छोटया, प्रभू पिसरान हीरालाल जाति लश्करी के द्वारा मांग्या उर्फ मांगीलाल आत्मज गोमदा जी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खडा कर दिनांक–12–03–1974 को उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात को धारा–42 बी काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के विपरित जाकर अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवा लिया तथा उक्त अवैध एवं प्रभाव शून्य विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज करवा लिया। तदुपरान्त दिनांक 09.11.2001 को गोरू, छोटया, प्रभू

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा

पिसरान हीरालाल जाति लश्करी ने जर्ये मुख्तार आम उक्त भूमि को प्रतिपक्षी क्रम–1 के पक्ष में विक्रय– पत्र निष्पादित कर विक्रय कर दिया। वादीगण के पूर्वज खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल आत्मज गोमदा जी जाति से भील थे तथा अनुसूचित जन जाति के सदस्य थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अनूसूचित जन जाति की भूमि को अन्य किसी भी जाति के व्यक्ति के पक्ष में विक्रय नही किया जा सकता है। जिस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–42बी में दिनांक 12–3–1974 एवम दिनाक–09–11–2001 अवैध एवम त्रुटिपूर्ण है तथा प्रार्थीगण/वादीगणो के हितो के विरूद्ध प्रभावशून्य है। उपरोक्त वर्णित विक्रय–पत्रों से गोरू, छोटया, प्रभू पिसरान हीरालाल जाति लश्करी को तथा प्रतिपक्ष क्रम 1 गिरधर गोपाल एण्ड संस एच.यु. एफ. को कोई हक हकुक प्राप्त नही होते है। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिकारो की घोषणा हेतु यह दावा सम्माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। यदि सम्माननीय न्यायालय द्वारा वादीगण/प्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात का खातेदार टीनेन्ट घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त विक्रय–पत्र स्वतः ही नल एण्ड वॉईड तथा प्रभावशुन्य हो जावेगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण/वादीगण को उपरोक्त वर्णित विक्रय–पत्रो को सिविल न्यायालय से निरस्त कराने की कानूनन कोई आवश्यकता नही है, अपितु उन्हे उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात में अपने अधिकारो की घोषणा कराने की आवश्यकता है, जिस बाबत प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा दावा हाजा सम्माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वादीगण का वाद त्वरित अनुतोष से सम्बन्धित है, यदि प्रतिपक्षी क्रम–1 द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात को उसके नाम पर दर्ज होने का फायदा उठाकर यदि बैचान कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना किसी प्रकार से संभव नही है। इस कारण से प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या–14 को दो माह का नोटिस नहीं दिया गया है तथा नोटिस से छूट हेतु वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा पृथक से धारा–80(2) सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पृथक से पेश किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त आपत्ति उठाने का अधिकार केवल मात्र प्रतिपक्षी क्रम–14 दी स्टेट ऑफ राजस्थान को है, दी स्टेट ऑफ राजस्थान के अतिरिक्त उक्त आपत्ति जाहिर करने का किसी व्यक्ति या संस्था को अधिकार नहीं है। वादीगण के पूर्वज मांग्या उर्फ मांगीलाल पुत्र गोमदा जी जाति भील द्वारा न तो बर्ष 1974 में न ही अन्य किसी तिथि पर उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात का बैचान किया है। वादीगण तथा उनके पूर्म मांग्या उ्फ मांगीलाल आत्मज गोमदा जी जाति से भील है तथा अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा प्रतिवादीगण अनुसूचित जन जाति के सदस्य नही है, इस कारण से उपरोक्त वर्णित आराजीयात का कानूनन बैचान किया जाना भी संभव नही है। वाद–पत्र की मद नम्बर–12 में वादीगण को दावा हाजा प्रस्तुत करने का वाद कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। इस कारण से प्रतिपक्षी क्रम–1 द्वारा प्रार्थना–

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पत्र के इस चरण में की गयी आपत्ति सर्वथा अवैध होने से खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रतिपक्षी क्रम–1 द्वारा यह प्रार्थना–पत्र सर्वथा असत्य तथ्यों एवम निराधार तथ्यो के आधार पर प्रकरण को लम्बा करने के उददेश्य से प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल जी आत्मज गोमदा जी ने ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपूरा जिला कोटा की गत खसरा नम्बर–38 की 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि का गोरू, छोट्या, प्रभू पिसरान हीरालाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा को उपरोक्त भूमि का कभी कोई बैचान नही किया था, विक्रय–पत्र प्रतिफल की कोई राशि प्राप्त नही की थी। उपरोक्त तीनो व्यक्तितयो ने खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल जी के स्थान पर अन्य किसी फर्जी व्यक्ति को खडा करके दुरभि संधि करके दिनांक–12–03–1974 को उपरोक्त भुमि का पंजीकृत विक्रय–पत्र को आपने पक्ष में निष्पादित करवाकर पंजीयन करवा लिया। उक्त तथाकथित पंजीकृत विक्रय–पत्र अनुसूचित जन जाति भील जाति की खातेदारी की भूमि का लश्करी जाति के व्यक्ति को सवर्ण जाति के व्यक्ति को बैचान किये जाने से उक्त बैचान सर्वथा गैरकानूनी, अवैध एवम प्रभावशून्य है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रावधानो के सर्वथा विपरीत है। उक्त बेचान से तथाकथित क्रेतागणो को कोई हक हकुक प्राप्त नही होते है। उक्त विक्रय–पत्र के आधार पर गोरू, छोट्या, प्रभू पिसरान हीरालाल जाति लश्करी ने सर्वथा अवैध एवम गैरकानूनी रूप से उपरोक्त कृषि आराजीयात को अपने खाते दर्ज करवा ली है। गोरू, छोट्या, प्रभू पिसरान हीरालाल जाति लश्करी ने उक्त अवैध इन्द्राजात का फायदा उठाकर उपरोक्त भूमि को मनमाने तौर पर प्रतिपक्षी क्रम–1 को दिनांक– 8/9–11–2001 को मुख्तार आम के माध्यम से उपरोक्त भूमि का बैचान कर दिया। सर्वथा अवैध एवम शुन्य प्रभावी विक्रय–पत्र दिनांक– 12–03–1974 एवम विक्रय–पत्र दिनांक–8/ 9–11–2001 से उपरोक्त व्यक्तियो को कोई हक व अधिकार उपरोक्त आराजीयात बाबत प्राप्त नही होते है। उक्त विक्रय–पत्र तथा राजस्व बिलेख जमाबन्दी में उक्त विक्रय–पत्रो के आधार पर किये गये इन्द्राजात वादीगण के हितो के विरूद्ध बेअसर एवम प्रभावशून्य है। वादीगण द्वारा सम्माननीय न्यायालय में उपरोक्त आराजीयात बाबत अपने अधिकारो की घोषणा हेतु यह दावा प्रस्तृत किया है, इस कारण से कानूनन उक्त विक्रय–पत्रो को सिविल न्यायालय से निरस्त कराने की कोई कानूनी आव यकता नही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादीगण उक्त दस्तावेज के निश्पादनकर्ता नहीं है, इस कारण से कानूनन वादीगण को उपरोक्त विक्रय पत्रो को निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना–पत्र सारहीन तथा पोषणीय नहीं होने से सव्यय खारिज फरमाने की कृपा करें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

प्रार्थी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

1. 2019(2) **RRT 780 Suprime Court**

Raghwendra sharan singh vs Ram prasanna singh by L.Rs.

"सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 –आदेश 7, नियम 11 वादपत्र खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया–वादी तथा उसके भाई द्वारा 06.03.1981 को निष्पादित बख्शीशनामा को चुनौति .... दी– घोषण हेतु वाद–अपीलाण्ट द्वारा वर्ष 2001 मे पेंश विभाजन वाद मे वादी पक्षकार था–वादी ने प्रकथन किया कि बख्शीशनामा निष्पादित करने का तथ्य 10.04.2003 को जानकारी मे आया –वाद स्पष्टतया काल बाधित था, वादी ने चतुराई से मियाद मे लाने का प्रयास किया–निर्णीत, वाद पत्र खारिज किया।"

2. 1. 2017(1) **DNJ (raj.)1) Rajsthan High Court**

annant pal rajput vs Sumer Singh Rajput & Anr.

"सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 –आदेश 7, नियम 11 धारा 151 वादपत्र खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया –विभाजन व निषेधाज्ञा हेतु वाद गोद के आधार पर पेश किया–अनरू वाद मे वादी ने गोद के बिन्दु पर दबाव नही किया और एक प्रकरण मे उसने 'एच.एस.' का गोदपुत्र घोषित करने हेतु पेश किया वाद वापस लिया–वादी स्वीकृतियों से बाहर नही जा सकता और आगे न्यायनिर्णयन करना आवश्यक नही है–गोद का निराधार व कल्पित अभिवाक् –निर्णीत, वाद धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन भी खारिज होने योग्य है।"

अप्रार्थी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये :–

1- Supreme Court Pyarelal vs shubhendra pilania 2019(1)RRT 291

Code of Civil Procedure, 1908-Order 7, Rule 11-Rajasthan Tenancy Act, 1955-Section 207-High Court set aside the order and smissed the suit for want of jurisdiction-Gift deed executed by espondent Nos. 2 and 3 in favour of the respondent No. 1-Appellant led a civil suit to declare the gift deed void to the extent of share of Maintiff/appellant-Appellant also filed a suit for declaration of his khatedari rights in the disputed land-Civil Suit is not maintainable till the khatedari rights are conferred-Revenue suit is still pending-Held, Ho merits in the appeal and dismissed.

2- 2023(2) RRT 1001 RAJASTHAN HIGH COURT

Ratan Lal & Ors. Vs. Shri Kanna Ji Dangi & Ors.
Code of Civil Procedure, 1908-Section 96 and Order 7, Rule 11-Suit dismissed for declaration, partition, correction in revenue record and permanent injunction-Documents under challenge pertains to the agricultural land - Suit is barred under Section 207 of the Rajasthan Tenancy Act - Suit for partition is

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा
E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

not triable by the Civil Court-Relief of cancellation of any document cannot be granted until and unless rights are declared qua the agricultural land-Held, No illegality in the judgment.

3- Rajasthan High Court RLW 2012(2) RJ 906 (HC)] = 2012(4) RLW 3040

Rukmani Versus Bhola & Ors.
Rajasthan Tenancy Act, 1955, Sec. 207 – Jurisdiction of the Civil Court to entertain the suit filed for cancellation of registered sale deed The deceased husband of appellant was son defendant-respondent, who had equal 1/2-1/2 share in the land - After death of deceased-husband of appellant, his father defendant-respondent sold the whole of the land - Held - The suit is barred by Sec. 207 of the Act as the relief claimed is regarding declaration of khatedari rights which can be obtained only through a revenue suit filed in revenue court order to determine the true nature of the relief claimed in the suit, the pith and substance and not the form in which the relief may be couched has to be considered – If the revenue court declares plaintiff-co-tenant of the land, it is not necessary for her to get the sale deed cancelled as that would automatically void and ineffective to the extent of share of plaintiff. Appeal dismissed.

4- RRD 1984 (HIGH COURT)

Jaswant Singh V/s Board of Revenue-(288), decided on 22nd March, 1984.
Raj. Tenancy Act, Secs. 207, 88 & 183-C.P.C., Sec. 9-Jurisdiction of my suit for declaration and ejectment where ptff. alleged that sale - deed, not by her and treated it as wholly void or a nullity - Suit, held exclusively pray. A. C. - Prayer for cancellation of such deed, unnecessary for ptff - Void can be ignored - Principles determining question of jurisdiction, discussed - RD 280 (H.C.)=1984 R.L.R. 113, upheld.

5- RRD 1974

Shri Krishna Chandra v/s Tehsildar R.C.P. (Larger Bench)
Apeal No. 139&128 Ganganagar of 69, 70 decided on 4th May, 1974
(d) Civil P. C., Sec. 80 – Notice – Absence of – Whether State or Public Officer against whom suit, filed can only raise objection and other defts. cannot be allowed to do so – Held that it is only State or Public Officer for whose benefit protection, granted can raise such objection and no other party can be allowed to raise it. (Para 18)

6- Lal Chand *Versus* Pooriya (deceased) L.R.'s Mst. Dhapu and Ors. Decided on 13.1.95 Revision No. 28/88/TA/Tonk

R.T. Act, Section 207(2) –

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

Held relief No. 1 and 2 can be given by revenue courts only, there remains no Importance for the third additional relief, which can be given by the Civil Court. Looking to the provisions of Section 207(2) of the R.T. Act and pith and substane of the suit order given by Asstt. Collector, Tonk dated 19-11-1987 seems to be justified and it cannot be interfered inrevision.

7- 2017(1) DNJ (Raj.) 351 RAJASTHAN HIGH COURT [JAIPUR BENCH]
[S.B. Civil Revision No. 150 of 2016; decided on 3.2.2017]

Ramniwas Meena & Anr. *Versus* Bhairav Grah Nirman Sahkari Samiti Ltd., Jaipur & Ors.

Civil Procedure Code, 1908- order 7, Rule. 11-Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 42-Application filed to reject the plaint being barred by law - Trial Court dismissed the application - Contention that the land was of Scheduled Tribe and Society purchased the land--Trial Court held that the suit cannot be dismissed at the initial stage and further investigation is not barred Mixed question of fact and law-Held, No illegality in the order.

8- 2015 DNJ (SC) 242 SUPREME COURT OF INDIA

P.V. Guru Raj Reddy Rep. By GPA Laxmi Narayan Reddy & Anr.. *Versus* P. Neeradha Reddy & Ors. Etc. [Civil Appeal No. 5254 of 2006; decided on 13.2.2015]

Civil Procedure Code, 1908- order 7, Rule 11- Plaint rejected by the High Court and reversed the order - At this stage the stand of the defendants in the written statement or in the application for rejection of the plaint is wholly immaterial and irrelevant-Avernments in th plaint has to be read as a whole-It cannot be said that the said proceedings *ex-facie* discloses that the suit is barred by limitation or is barred under any law-Held, Order passed by the High Court is set aside.

9- 2013(3) DNJ (Raj.) 1219 RAJASTHAN HIGH COURT

[S.B. Civil Revision Petition No. 111 of 2012; decided on 8.4.2013]

Vijay Shanker *Versus* Ram Sharan & Ors.

Civil Procedure Code, 1908- O. 7, R. 11-Application for dismissing suit dismissed - Court is required to examine the averments made in the plaint - Objections raised can be adjudicated only after recording of the evidence - Held, Court below has not committed any illegality or material irregularity in exercising the jurisdiction

10- 2007-08 DNJ (SC) (Suppl.) 251SUPREME COURT OF INDIA

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

[Civil Appeal No. 3038 of 2008 [Arising out of SLP (Civil) No. 9222 of 2007]; decided on 29.4.2008] Kamala & Ors. *Versus* K.T. Eshwara Sa & Ors.

A Civil Procedure Code, 1908- O. 7, R. 11- Scope - Rejection of plaint - Rule 11(d) has limited application - Conclusion that suit is barred by law must be drawn from averments made in plaint.

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों को आद्योपांत अध्ययन किया।

बहस उभयपक्ष पर गम्भीरत पूर्वक मनन किया। तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 द्वारा निवेदन किया गया कि मांगीलाल की मृत्यु सन 2014 मे बताई गई है। वादीगण द्वारा स्वयं विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादीगण के पूर्वजों द्वारा सन् 1974 से आदिनांक तक कोई आपत्ति नही की गई है। प्रार्थीगण का यह कथन भी नितान्त अनुचित है कि फर्जी व्यक्ति खड़ा कर विक्रय पत्र सम्पादित करवाया गया था यदि कोई फर्जी व्यक्ति खड़ा किया गया तो मांगीलाल द्वारा अपने सम्पूर्ण जीवन काल मे कोई आपत्ति क्यो नही की गई, मांगीलाल द्वारा भूमि का बेचान कर कब्जा दिया जाना उल्लेखित किया गया है। अतः बेचान के परिणाम स्वरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(7) के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। साथ ही वादीगण का कब्जा नही होने के कारण तथा कब्जा क्रेता को सभंला देने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(4) के तहत भी खोदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। यदि धारा 42(बी) का उल्लघन भी है तो कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार लाडपुरा मे निहित है। वादीगण के पिता द्वारा सन् 1974 मे भूमि का बेचान कर कब्जा संभला देने के उपरात वाद कारण कैसे उत्पन्न हुआ यह वादीगण द्वारा स्पष्ट नही किया गया है। क्योकि सन् 1974 मे कब्जा देने के उपरांत वादीगण को पुनः कभी कब्जा प्राप्त हुआ हो, इसका ना तो वादीगण ने कोई उल्लेख किया है और ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये है।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 द्वारा निवेदन किया गया कि हमने अपने वाद पत्र मे यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि विक्रय पत्र हमारे पिता द्वारा निष्पादित नही करवाया गया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(4) व 63(7) केवल उन्ही परिस्थितियों मे लागु होगी जबकि बेचान राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम के प्रावधानों के अनुकुल हुआ हो। लेकिन हस्तगत प्रकरण मे बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(बी) से प्रभावित है अतः धारा 63(4) व 63(7) लागु नही होगी।

पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि जमाबंदी संवत 2027 से 2030 मे हस्तगत आराजी मांग्या बेटा गोविंदा जाति भील

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

गैर खातेदार दर्ज रिकोर्ड थे। नामान्तकरण संख्या 49 दिनांक 06.03.1974 से उक्त आराजी गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज हुई। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12. 03.1974 से मांग्या द्वारा हस्तगत आराजी का बेचान गौरू, छोट्टू, प्रभू आत्मज श्री हिरालाल जाति लश्करी निवासी नयानोहरा को कर दिया गया। तथा नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 10.05.1975 से हस्तगत आराजी गौरू, छोट्टू, प्रभू के खाते दर्ज हुई। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि कब्जा क्रेता को संभला दिया गया था। नामान्तकरण संख्या 58 मे भी स्वीकृत कर्ता द्वारा स्पष्ट अंकित किया गया है कि रजिस्ट्री होकर भूमि का कब्जा गौरू वगै0 को मिल चुका है। जमाबंदी संवत 2038–57 मे हस्तगत आराजी गौरू, छोट्टू, प्रभू पिसरान हिरा जाति लश्करी के खाते दर्ज रिकोर्ड थी।

दिनांक 09.11.2001 को गौरू, छोटू प्रभू आत्मज हिरा द्वारा हस्तगत आराजी का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गिरधर गोपाल एण्ड सन्स एचयूएफ कर्ता गिरधर गोपाल झाम आत्मज श्री टालाराम झाम निवासी नयापुरा कोटा को कर दिया गया। तथा नामान्तकरण संख्या 177 दिनांक 26.01.2002 से हस्तगत आराजी क्रेता गिरधर गोपाल एण्ड सन्स एचयूएफ कर्ता गिरधर गोपाल झाम आत्मज श्री टालाराम झाम निवासी नयापुरा कोटा के नाम दर्ज हुई। तथा वर्तमान जमाबंदी अनुसार हस्तगत आराजी गिरधर गोपाल एण्ड सन्स एचयूएफ कर्ता गिरधर गोपाल झाम आत्मज श्री टालाराम झाम निवासी नयापुरा कोटा के नाम दर्ज रिकोर्ड है। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 12.03.1974 तथा दिनांक 09.01.2001 को प्रश्नगत भूमि के संबंध मे दो पृथक–पृथक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित हुये है।

पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि खातेदार मांग्या द्वारा सन् 1974 मे हस्तगत आराजी का बेचान कर कब्जा संभला दिया गया था। इसके पश्चात प्रार्थीगण को कब्जा कभी पुनः प्राप्त हुआ हो, यह प्रमाणित करने मे प्रार्थी गण असफल रहे है। खातेदार मांग्या द्वारा भूमि का बेचान करने के उपरांत विक्रय पत्र पर मांग्या द्वारा कभी कोई आक्षेप प्रस्तुत किया गया हो, यह पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित नही होता है।

उक्त परिस्थिती मे विद्वान अभिभाषक प्रार्थी आदेश 7 नियम 11 का यह कथन उचित प्रतित होता है कि मांग्या द्वारा उक्त विक्रय के प्रति यह स्वीकारोक्ति वादीगण को उक्त वाद करने से स्टॉप करती है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का कथन रहा है कि उनके पिता द्वारा भूमि का बेचान किया ही नही गया था। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि बेचान मांग्या द्वारा नही किया गया था, तो मांग्या या उनके वारिसान द्वारा उक्त विक्रय पत्र के प्रति कोई भी कार्यवाही नही की गई है। प्रथम विक्रय पत्र मांग्या द्वारा दिनांक 12.03.1974 को निष्पादित किया गया था। तथा मांग्या को उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर कोई आपत्ति नही रही है। मांग्या

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

की मृत्यु सन 2014 मे होना बताया गया है। विक्रय के पश्चात मांग्या द्वारा लगभग 40 वर्षो तक विक्रय पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही करना इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि विक्रय पत्र मांग्या द्वारा ही निष्पादित करवाया गया था। विक्रय के लगभग 50 वर्ष पश्चात यह वाद प्रस्तुत किया गया है। हमारे विनम्र मत मे मांग्या द्वारा विक्रय पत्र पर अपने जीवनकाल मे कोई आपत्ति नही करना तथा सन् 1974 मे कब्जा क्रेता को संभला देने के पश्चात कब्जा प्राप्ति का पुनः कोई प्रयास नही करना विक्रय के प्रति मांग्या की स्वीकारोक्ति को प्रमाणित करता है।

प्रतिवादी प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 ने प्रार्थना पत्र मे यह कथन किया है कि दिनांक 12.03.1974 व 09.01.2001 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि का बेचान हुआ है। अतः वादीगण को सक्षम न्यायालय से उक्त विक्रय पत्रों को निरस्त करवाना चाहिए था। विक्रय पत्रों को निरस्त करवाये बिना हस्तगत वाद इस न्यायालय मे पोषणिय नही है। साथ ही विक्रय पत्र को निरस्त करने की शक्तियां इस न्यायालय मे निहित नही है। वादी द्वारा उल्लेखित किया गया है कि दिनांक 12.03.1974 का विक्रय पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(बी) के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण वादी के विरूद्ध प्रभाव शुन्य है। अतः वादी को उक्त विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने की आवश्यकता नही है।

किन्तु प्रार्थी प्रतिवादी अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 07.01.2001 को निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के विरूद्ध नही होने से निरस्त करवाया जाना आवश्यक है। जिसके लिए सक्षम न्यायालय मे चाराजौरी किया जाना नियम अन्तर्गत है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का कथन है कि यदि धारा 42(बी) का उल्लघन हुआ है तो यह तहसीलदार व क्रेता के मध्य का बिन्दु है तथा तहसीलदार उक्त प्रकरण मे कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। लेकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(7) के तहत बेचान कर देने के कारण तथा धारा 63(4) के तहत सन् 1974 मे ही कब्जा स्थानान्तरित कर देने के कारण वादी गण के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। तथा वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत मे वादीगण यह स्पष्ट करने मे असफल रहे है कि सन् 1974 मे बेचान के उपरांत उन्हे पुनः कब्जा कब प्राप्त हुआ। तथा भूमि का बेचान कर कब्जा क्रेता को संभला देने के पश्चात कब्जे के अभाव मे वादीगण के पक्ष मे वादकारण कैसे उत्पन्न हुआ।

उक्त परिस्थितियों मे वादकारण उत्पन्न नही होने के कारण हम प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

अतः प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री परचा पृथक से जारी किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखित दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा